# राजस्थान सरकार
# ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
# (ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

(ईमेल आईडी pdme2k_rdd@yahoo.com फोन न. 0141–2227229)

क्रमांक :– एफ 5(16)ग्रावि/ग्रुप–8/सीईओ बैठक/2018 जयपुर, दिनांक: 26/10/2018

## –:बैठक कार्यवाही विवरण:–

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग योजनाओं की त्रैमासिक समीक्षा बैठक दिनांक 27 सितम्बर 2018 को इन्दिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक के दौरान निम्न निर्देश प्रदान किये गये:–

- गत वित्तीय वर्ष की अवशेष राशि एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाने के संबंध में सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गंभीरता से लेवें। आचार संहिता से पूर्व समस्त उपलब्ध राशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करें।
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की राज्य प्रवर्तित एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में जिला परिषदों के पी0डी0 खातों में जो राशि विगत वित्तीय वर्षों के स्वीकृत खातों के बकाया वित्तीय वर्ष के अवशेष है, उस समस्त राशि के चालू वित्तीय वर्ष के आवंटन के अनुसार आवंटन का 125 तक प्रतिशत वित्तीय स्वीकृति जारी करें तथा पी0डी0 खाते के अवशेष को शून्य करें। पी0डी0 खाते में अवशेष शून्य होने के पश्चात् विभिन्न योजनाओं में आवंटित राशि को रीलिज करवाने हेतु प्रस्ताव भिजवायें।
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं में जिन जिलों द्वारा सबसे कम प्रगति अर्जित की है, उन जिलों की समीक्षा के लिए राज्य स्तर से अधिकारी जिलों में भिजवायें जायें, जिससे प्रगति में पिछड़े जिलों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति में सुधार लाया जा सके।
- बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा अवगत कराया कि पंचायतीराज की अधिकतर योजनाओं का कार्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तर पर ही सम्पादित किया जा रहा है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि पंचायतीराज की समस्त योजनाओं के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तरदायी बनाया जाये। सभी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समग्र नियंत्रण में ही कार्य करेगें। इस आशय की पत्रावली प्रस्तुत करने एवं आवश्यक आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया।

- अधिकतर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा बताया गया कि पंचायतीराज की योजना के कार्य स्वीकृति एवं व्यय पर नियंत्रण की समग्र व्यवस्था नहीं है जिससे योजनाओं की मोनिटरिंग नहीं हो पाती। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि ग्रामीण विकास द्वारा संचालित IWMS सॉफ्टवेयर से पंचायतीराज की समस्त योजनाओं की स्वीकृति एवं मोनिटरिंग की कार्यवाही अमल में लायी जाये।
- IWMS सॉफ्टवेयर में पंचायतीराज की योजनाओं का शीघ्र प्रावधान किया जावे एवं दिशा निर्देश जारी किया जाये।
- स्वच्छ भारत मिशन के बकाया भुगतान मिशन मोड पर कराये जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि स्वच्छ भारत मिशन में कोई भी भुगतान किया जाना शेष नहीं रहे।
- महात्मा गांधी नरेगा में वर्ष 2016–17 व वर्ष 2017–18 का किसी भी मस्टररोल का भुगतान लम्बित नहीं रहे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायतवार इसकी समीक्षा करें एवं भुगतान की कार्यवाही करें।
- नवीन ग्राम पंचायत भवनों के लिए यदि जमीन उपलब्ध नहीं हो तो उसी ग्राम पंचायत के अन्य गांवों में ग्राम पंचायत भवन बनाया जा सकता है। इस आशय के प्रस्ताव जिलों द्वारा शीघ्र भिजवाये जायें।
- आंगन बाड़ी भवनों में एवं किसान सेवा केन्द्रों में विवाद की स्थिति है, तो उसका निरस्तारण करें एवं अन्य जगह ग्राम पंचायत/पंचायत समिति में स्वीकृति जारी की जावें।
- मृत राज कर्मचारी को पदस्थापन देने की कार्यवाही दीपावली के पूर्व हर हाल में की जावें, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें, साथ ही अपने जिले से प्रमाण पत्र भेजे कि किसी भी मृत राज कर्मचारी पर दी जाने वाली अनुकम्पा नियुक्ति उनके जिले में लम्बित नहीं हैं।
- शिक्षक भर्ती 2013 के जो प्रकरण लम्बित है, उनको गंभीरता से लिया जावे, जिससे न्यायालय अवमानना की स्थितियां उत्पन्न नहीं हों।
- महात्मा गांधी नरेगा में समीक्षा हेतु समीक्षा फॉर्मेट राज्य स्तर से भिजवाया गया है, इसी अनुरूप पंचायत समितिवार समीक्षा करें। विकास अधिकारी ग्राम पंचायतवार समीक्षा करें।
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं में जो कार्य स्वीकृत है, उन्हें शीघ्र प्रारम्भ किया जाये। जिन कार्यों की निविदायें निर्धारित नहीं हुई है, ऐसे कार्यों की

कार्यवार समीक्षा कर निविदायें निर्धारित की जायें, जिससे आचार संहिता से पूर्व स्वीकृत सभी कार्य प्रारम्भ हो सके।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हाट बाजार विकसित करने संबंध में चिन्हीकरण कर विकसित करने की कार्यवाही बाबत निर्देश प्राप्त हुए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी इस हेतु जिलों में भ्रमण करेंगें, इन्हें पूर्ण सहयोग किया जाये एवं अपने जिले में ग्रामीण हाट बाजार चिन्हीकरण की कार्यवाही की जाये, जिससे ग्रामीण हाट बाजार विकसित हो सके।
- एमएलए लैड योजना में विभिन्न जिलों में बचत राशि उपलब्ध है। इसकी सूचना शीघ्र भिजवायी जाये। इस राशि का IWMS के अन्य प्राप्तियों के कॉलम में इन्द्राज किया जाये और इस राशि की स्वीकृति शीघ्र जारी करायी जाये।
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं का समस्त कार्य अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी) को हस्तान्तरित किया जाये। जिन जिलों ने अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी) के स्थान पर जलसंसाधन एवं जलग्रहण विकास के अभियन्ताओं को प्रभारी बनाया हुआ है, उसे तुरंत निरस्त करें एवं अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाये।
- महात्मा गांधी नरेगा में मासिक बैठक का प्रावधान है। जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) की अध्यक्षता में मासिक बैठक करायी जाये।
- जिन जिलों द्वारा शत–प्रतिशत GPDP को Plan Plus पर अपलोड नहीं किया है, वे जिलें शीघ्र ही GPDP को Plan Plus Software पर अपलोड करने की कार्यवाही करें।
- चूरू, टोंक, प्रतापगढ, हनुमानगढ व नागौर जिले की ग्रामीण विकास की योजनाओं में वित्तीय प्रगति राज्य में सबसे कम रही है।
- राजसमंद, जालौर, बीकानेर, बारां व उदयपुर जिले की ग्रामीण विकास की योजनाओं में भौतिक प्रगति सबसे कम रही है।
- नागौर, राजसमंद, अलवर, दौसा व जालौर जिले की पंचायत राज योजना में प्रगति सबसे कम रही है।
- करौली, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, टोंक, डूंगरपुर, दौसा जिले में उपलब्ध राशि के विरूद्ध स्वीकृति जारी की है। जिन जिलों की प्रगति कम है एवं स्वीकृतियाँ कम जारी की है, वहां राज्य स्तर के अधिकारी भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

- बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यों के समायोजन में लेखा कार्मिकों द्वारा अनावश्यक आक्षेप लगाये जा रहें है, जिसके कारण समायोजन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में यह निर्णय किया गया कि कार्यों की स्वीकृति के समय तकनीकी परीक्षण की दृष्टि से पत्रावली अभियन्ताओं के माध्यम से तथा कार्यों की यू0सी0 प्राप्त होने के पश्चात समायोजन एवं किश्त हस्तान्तरण हेतु पत्रावली संबंधित लिपिक के द्वारा लेखा शाखा के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जिला कलक्टर को प्रस्तुत की जाये। कार्य स्वीकृति, सम्पादन एवं यू0सी0 जारी करने आदि कार्य अभियन्ताओं का, व्यय राशि की यू0सी0 प्राप्त करने, समायोजन करने एवं किश्त हस्तान्तरण करने आदि का कार्य लेखा कार्मिकों का है। जिससे कार्यों का शीघ्र निस्तारण किया जाना संभव हो सके। इस संबंध में राज्य स्तर से निर्देश भी जारी करने का निर्णय लिया गया।
- माननीय मंत्री महोदय द्वारा आई.ई.सी. की राशि का उपयोग करते हुए योजनाओं एवं करवाये गये कार्यों की खेल–कूद प्रतिस्पर्धाओं, यूथ फेस्टीवल एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से योजनाओं की प्रगति के प्रचार–प्रसार पर बल दिया गया। सार्वजनिक स्थानों एवं कन्या शिक्षण संस्थाओं के आस–पास सामुदायिक शौचालय स्वीकृत किये जावें, जिनमें पानी एवं साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था हो। जिलों से अपेक्षा की जाती है, कि उनके पास लंबित समस्त सामुदायिक शौचालयों के प्रस्तावों की स्वीकृतियां इसी सप्ताह में जारी कर कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करावें।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत राजस्थान राज्य के प्रथम स्थान प्राप्त करने आवास पूर्ण करने, कनवर्जेंस में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया है। बैठक के दौरान माननीय मंत्री महोदय से पुरष्कार ग्रहण किये, वहीं जिला बांसवाड़ा आवास पूर्ण करने में पूरे देश में प्रथम, पंचायत समिति घाटोल (जिला बांसवाड़ा) द्वितीय, पंचायत समिति कुशलगढ (जिला बांसवाड़ा) का आवास पूर्ण करने में तृतीय स्थान रहा। बैठक के दौरान माननीय मंत्री महोदय ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांसवाड़ा को सम्मानित किया।
- परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो.एवं मू.) द्वारा ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं का प्रस्तुतीकरण देते हुए अवगत कराया गया कि जिलों के पास कुल उपलब्ध राशि 1,13,706.87 लाख रू. के विरूद्ध माह अगस्त, 2018 तक मात्र 46,860.44 लाख रू. का व्यय कर 41.21 प्रतिशत वित्तीय प्रगति अर्जित की है।

46013 अपूर्ण कार्यों के विरूद्ध मात्र 7960 कार्य पूर्ण होने के संबंध में अवगत करवाते हुए अप्रारंभ 7987 कार्यों को तत्काल प्रारंभ कराने के निर्देश प्रदान किये गये।

- परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (एस.ए.पी–II) द्वारा ग्रामीण विकास की सीमान्त क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं के कार्यों की स्वीकृतियों एवं प्रगति की समीक्षा के बारे में कार्यशाला में अवगत कराया गया। जिलों के पास लंबित विधानसभा प्रश्नों के जवाब शीघ्र भिजवाने का आग्रह किया गया।
- परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (एस.ए.पी–I) द्वारा ग्रामीण विकास की सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, स्व–विवेक जिला विकास योजना, स्मार्ट विलेज एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना व मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना की प्रगति से अवगत कराया गया।
- शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग द्वारा टी.एफ.सी, एफ.एफ.सी., स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी नरेगा एवं राजीविका तथा ग्रामीण विकास की प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, स्व–विवेक जिला विकास योजना, गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, डांग/मगरा/मेवात क्षेत्रीय विकास योजना, सीमान्त क्षेत्र विकास योजना, स्मार्ट विलेज, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना सहित समस्त विकास योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए इन योजनाओं के तहत अपूर्ण कार्यों पर ध्यान दिया जाकर इन्हें शीघ्र पूर्ण कराया जाकर राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

- आयुक्त महोदय, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा योजना की विगत 10 वर्षों की तुलना में निरन्तर गिरावट पर चिन्ता व्यक्त करते हुए योजना के 15 पैरामीटर्स के अनुसार जिलों की रेकिंग प्रस्तुत की। करौली जिले द्वारा गत बैठक के पश्चात अर्जित प्रगति के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, करौली से एवं सबसे कम प्रगति वाले जयपुर जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से उनके द्वारा किये जा रहे प्रयासों व कठिनाईयों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। मोबाइल पर प्रति दिन की मोनिटरिंग, समय पर भुगतान एवं प्रपत्र–6 की रसीद दिये जाने, प्रक्रिया अमल में लाने और श्रमिक बढाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

- महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत श्रमिकों के सुनिश्चित नियोजन हेतु प्रपत्र–6 के वितरण के संबंध में विशेष प्रयास किये जाये । प्रचार–प्रसार के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी, वार्ड पंच के माध्यम से प्रपत्र–6 वितरित करवाये जाकर आवेदक को दिनांक सहित हस्ताक्षरित रसीद दी जावे, जिससे वह 15 दिवस में काम नहीं दिये जाने पर बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी हो सके।
- महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत चारदीवारी वाले स्कूलों में वृक्षारोपण के तहत पंचफल (आम, शहतूत, जामुन आदि) लगाने का कार्य लिया जावें।
- गत वर्षों तक की बचत राशि को दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक व्यय कर समस्त अधूरे कार्यों को पूर्ण कराया जावे। विशेषतः स्व–विवेक जिला विकास योजना में जिला कलक्टर द्वारा स्व विवेक में अत्यधिक अवशेष राशि है। अतः इसकी शीघ्र स्वीकृतियाँ जारी कर कार्य प्रारंभ करावें।
- विभाग की समस्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण को सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को जिला परिषद के योजना प्रभारियों के साथ बैठक आयोजित कर समस्त योजनाओं के कार्यों की कार्यवार प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश प्रदान किये गये।
- प्रति सप्ताह एक से दो पंचायत समितियों का उनके द्वारा एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा नियमित रूप से भ्रमण कर कार्यों एवं बकाया उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्रों की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश प्रदान किये गये।
- योजनान्तर्गत वंचित वर्ग को आवश्यक रूप से रोजगार प्रदान किया जावें।
- राज्य में पिछले 5 वर्षों में औसतन 52 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। प्रायः देखा गया है कि गलत एमआईएस फीडिंग व उचित समीक्षा के अभाव में लाभार्थियों को मांग अनुसार 100 दिवस का रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल रहा है।
- योजनान्तर्गत न्यूनतम मजदूरी दर 192 रूपये के विरूद्व राज्य स्तर पर औसत मजूदरी दर मात्र 139 रूपयें है। जिसे उचित समीक्षा एवं समय–समय पर मेट प्रशिक्षण करवाकर बढ़ाया जावे।
- वर्ष 2016–2017 तक 1,68,152 कार्य अपूर्ण है, जिन्हें पूर्ण करवाया जावें।

- महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम प्रावधानानुसार 15 दिवस में भुगतान आवश्यक है, परंतु राज्य में समयबद्ध भुगतान मात्र 76 प्रतिशत है। जिसे 99 प्रतिशत तक बढ़ाया जावे।
- वर्ष 2019–20 की जीआईएस आधारित प्लानिंग हेतु जिलों में आईएनआरएम प्लान तैयार नहीं किये गये है। समस्त ग्राम पंचायतों के आईएनआरएम प्लान तैयार कर 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में अनुमोदन कराने की कार्यवाही की जावें।
- जिओ मनरेगा योजनान्तर्गत फेस–1 एवं फेस–2 अन्तर्गत समस्त पूर्ण कार्यों की जिओ टैगिंग की जावे।
- जिला एवं पंचायत समिति अधिकारियों द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार निरीक्षण कर योजना की समीक्षा की जावे।
- योजनान्तर्गत संयुक्त खाता धारकों की समीक्षा कर एकल खातों में परिवर्तित किया जावे।
- श्रमिक विलम्बित भुगतान मुआवजा को पंचायत समितिवार परीक्षण करते हुए नरेगा सॉफ्ट पर अपडेट किया जावे एवं इस हेतु उत्तरदायी कार्मिक/अधिकारी से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावे।
- एस.ई.सी.सी. मैंपिग के अनुसार इच्छुक परिवारों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराये जावें अथवा इच्छुक नहीं होने की स्थिति में नरेगा सॉफ्ट पर दिये गये ऑपशन के अनुसार कार्यवाही की जावे।
- सीपीग्राम पोर्टल पर उपलब्ध लम्बित शिकायतों को नियमित रूप से चेक कर निस्तारण सुनिश्चित करावें। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करावें।
- संबंधित जिलों द्वारा लम्बित विधानसभा प्रश्नों के जवाब अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियां: –
  योजनान्तर्गत कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियों पर कम से कम 60 प्रतिशत व्यय किया जाना हैं। अतः उक्तानुसार कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे।

- एनआरएम – योजनान्तर्गत एनआरएम आधारित गतिविधियों पर कम से कम 65 प्रतिशत तक व्यय किया जाना है। उक्तानुसार कार्यों का चयन कर क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।
- एबीपीएस (ABPS) हेतु जिला स्तर पर डीएलबीसी की बैठक कर कन्वर्जन की कार्यवाही पूर्ण की जावें।
- योजना के मुख्य 6 समीक्षा बिन्दुओं की प्रगति के अनुसार राज्य के समस्त जिलों की रैकिंग की गई तथा जिलों को निर्देशित किया गया है कि इसी अनुसार जिला स्तर पर पंचायत समितिवार तथा पंचायत समिति स्तर पर ग्राम पंचायतवार समीक्षा की जावें।
- प्रत्येक जिले की एक–एक पंचायत समिति का प्रस्तुतीकरण तैयार कर संबंधित विकास अधिकारी द्वारा मुख्यालय स्तर आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:–**

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समितियों में नियमित रूप से बैठकें आयोजित कर समस्त कार्यों की कार्यवार प्रगति की समीक्षा करें तथा वाट्सएप पर बैठक की एक फोटो अपलोड करें।
- बकाया विधानसभा प्रश्नों के जवाब तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम सभाओं में सर्कुलर जारी किया जाकर आईईसी कार्य योजना तैयार की जावे। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मेनेजमेंट के तहत डीपीआर भेजें जिसमें भारत सरकार से राशि प्राप्त की जा सके।
- कोर्ट केसेज की समीक्षा कर समय पर पालना सुनिश्चित की जावे। राज्य स्तर के अधिकारीगण को अनावश्यक रूप से कोर्ट नहीं जाना पड़े, अन्यथा ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा।
- माह अगस्त, 2018 तक ग्रामीण विकास की योजनाओं में कोटा (91.01%), श्रीगंगानगर (77.85%), झुंझुनू (69.11%), जोधपुर (66.18%), एवं उदयपुर (63.55%) तथा पंचायतीराज विभाग की योजनाओं में उदयपुर, चित्तौड़गढ, चुरू, अजमेर, भीलवाड़ा की प्रगति सबसे अच्छी रही। इन जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में सराहना की गई। चूरू (20.46%), टोंक(22.08%), प्रतापगढ (25.81%), हनुमानगढ (26.26%) एवं नागौर(26.51%) तथा दौसा, जालौर, राजसमंद की प्रगति सबसे कम रही। इन मुख्य कार्यकारी अधिकारियों

को सुधार हेतु निर्देश दिये गये। माह अगस्त, 2018 तक के अपूर्ण कार्यों की जिलेवार प्रगति की समीक्षा के दौरान राज्य के 5 सबसे अच्छी प्रगति वाले जिलों यथा – दौसा, झुंझुनूं, कोटा, सवाई माधोपुर एवं अजमेर एवं 5 सबसे कम प्रगति वाले जिलों यथा– उदयपुर, बारां, बीकानेर, जालोर एवं राजसमन्द की समीक्षा करते हुए उनके द्वारा योजनाओं की नियमित व्यक्तिशः समीक्षा कर पूर्ण प्रगति अर्जित करने हेतु निर्देशित किया गया।

- मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण द्वारा विभागीय निर्देशानुसार सतत् मोनिटरिंग एवं व्यक्तिशः साप्ताहिक, पाक्षिक समीक्षाओं के माध्यम से अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने एवं पूर्ण कार्यों के अभियान के रूप में उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्रों का समायोजन करवाते हुए प्रगति को गति प्रदान करते हुए लक्ष्यानुरूप प्रगति अर्जित किये जाने का विश्वास जताया गया।

आयुक्त महोदय, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा समस्त उपस्थित अधिकारीगण को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस आशा के साथ कार्यशाला का समापन किया गया कि समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण कार्यशाला में प्रदत्त निर्देशानुसार सतत् समीक्षा कर अपने जिलों में संचालित समस्त योजनाओं की लक्ष्यानुसार प्रगति अर्जित करेंगे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

26/2/18

(हितबल्लभ शर्मा)
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. स्टेट मिशन निदेशक, आजीविका परियोजनाए एवं स्वयं सहायता समूह।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
3. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
4. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग।
6. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन–द्वितीय), पंचायती राज विभाग।
7. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
8. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
9. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायतीराज/महात्मा गांधी नरेगा।
10. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव, महात्मा गांधी नरेगा।
11. संयुक्त सचिव (आयोजना), पंचायतीराज विभाग।
12. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, एसएपी–I एवं II/महात्मा गांधी नरेगा।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
14. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण की अनुपालना रिपोर्ट 7 दिवस में भिजवाने का कष्ट करें।
16. संयुक्त निदेशक (मोनिटरिग), पंचायतीराज विभाग।
17. सहायक निदेशक (प्रचार), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
18. एसीपी/प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट www.rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

26/4/18

परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

CEO

माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 27.09.2018 को इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में आयोजित मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बैठक में उपस्थिति

| क्र.सं. | जिले का नाम | अधिकारी का नाम | मोबाईल नं0 | ई–मेल आईडी | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर | Arun Garg | 9829143888 | RASARUN@GMAIL.COM | [signature] |
| 2 | अलवर | Ansh Deep | 7579942987 | ceo.alwar@gmail.com | Ansh |
| 3 | बांसवाडा | Dr. Bhanwarlal | 8890463322 | Pd-ban-rj@nic.in | [signature] |
| 4 | बांरा | भवानीसिंह पालावत | 9413113217 | | [signature] |
| 5 | बाड़मेर | | | | |
| 6 | भरतपुर | [illegible] | 9414[illegible] | | [signature] |
| 7 | भीलवाडा | GSN Rathore | 9413032922 | | [signature] |
| 8 | बीकानेर | | | | |
| 9 | बूँदी | एम.के. [illegible] | 9413641161 | | [signature] |
| 10 | चित्तोडगढ | Ankit kumar Singh | 9725136544 | | [signature] |
| 11 | चूरू<br>[illegible] (Charge) | | | | |
| 12 | दौसा | | | | |
| 13 | धौलपुर | S.C. Meena | 8094453810 | | [signature] |
| 14 | डूॅंगरपुर | | | | |
| 15 | श्रीगंगानगर | Chinmayee Gopal | 9818883264 | | [signature] |
| 16 | हनुमानगढ़ | नवनीत कुमार | 94133 64072 | PD-HAN-RJ@NIC.IN | [signature] 27/9/2018 |

| क्र.स. | जिले का नाम | अधिकारी का नाम | मोबाइल न0 | ई—मेल आइडी | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | जयपुर | Alok Ranjan | 9414676636 | | |
| 18 | जैसलमेर | रामेश्वर मीणा | 9414280766 | | |
| 19 | जालौर | Ashok kumar | 9414170625 | | |
| 20 | झालावाड | | | | |
| 21 | झुंझुनूं | जे० पी० बुनकर | 9414035162 | | |
| 22 | जोधपुर | Avichal Chaturvedi | | | |
| 23 | करौली | Gaurav Agra[illegible] | | | |
| 24 | कोटा | B.M. BAIRWA | 9413151221 | | |
| 25 | नागौर | | | | |
| 26 | पाली | | | | |
| 27 | प्रतापगढ | Dr. V.C. GARG | 8058020555 | vcgarg1963@gmail.com | |
| 28 | राजसमंद | | | | |
| 29 | स.माधोपुर | [illegible] | 9982910248. | | |
| 30 | सीकर | | | | |
| 31 | सिरोही | Shubham Chaudhary | 7073877727 | | |
| 32 | टोंक | Rajesh K. Bas[illegible] | 9414045748 | [illegible]@gmail.com | |
| 33 | उदयपुर | Qummer ch. | 7665599920 | | |

ACEO

माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 27.09.2018 को इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में आयोजित

**अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारियो की बैठक में उपस्थिति**

| क्र.सं. | जिले का नाम | अधिकारी का नाम | मोबाईल नं0 | ई–मेल आईडी | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर | | | | |
| 2 | अलवर | | | | |
| 3 | बांसवाडा | | | | |
| 4 | बांरा | | | | |
| 5 | बाड़मेर | | | | |
| 6 | भरतपुर | | | | |
| 7 | भीलवाडा | | | | |
| 8 | बीकानेर | श्रीमती [illegible] | 9950382495 | | [signature] |
| 9 | बूँदी | | | | |
| 10 | चित्तोडगढ | | | | |
| 11 | चूरू | Dr Narendra Choudhary | 9413610640 | | [signature] |
| 12 | दौसा | | | | |
| 13 | धौलपुर | | | | |
| 14 | डूँगरपुर | रौनक बैरागी | 9950281494 | raunaque@gmail.com | [signature] |
| 15 | श्रीगंगानगर | | | | |
| 16 | हनुमानगढ़ | | | | |

| क्र.सं. | जिले का नाम | अधिकारी का नाम | मोबाईल नं0 | ई–मेल आईडी | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | जयपुर | | | | |
| 18 | जैसलमेर | Chetan Chawla | 9649952276 | global.chetan@gmail.com | chetan |
| 19 | जालौर | | | | |
| 20 | झालावाड | Sawan Kr. Chayal | 9460205745 | | [signature] |
| 21 | झुंझुनूं | | | | |
| 22 | जोधपुर | | | | |
| 23 | करौली | नवरतन योगी | 8619539387 | | [signature] |
| 24 | कोटा | मुरारीलाल वर्मा | 9414676375 | | [signature] |
| 25 | नागौर | | | | |
| 26 | पाली | उत्तम भट्ट | 9414384283 | | [signature] |
| 27 | प्रतापगढ | | | | |
| 28 | राजसमंद | | | | |
| 29 | स.माधोपुर | | | | |
| 30 | सीकर | Anupam Kayal | 9414020182 | aceo_sik@yahoo.com | [signature] |
| 31 | सिरोही | रामराज | 9828315378 | | [signature] |
| 32 | टोंक | कपूर शंकर मीणा ACEO | 9414604917 | | [signature] 27-9-18 |
| 33 | उदयपुर | Mukesh Kr Kalal | 9166550509 | aceo_udaipur@rediffmail.com | [signature] 27.9.18 |